राधिका झा आई0ए0एस0
राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

"उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद"
सर्व शिक्षा अभियान
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून
website: http://ssa.uk.gov.in/
email - spd-ssa-uk@nic.in
फोन/फैक्स : 0135 –2781941, 42, 43

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा0प0नि0/ 555 /समे0शि0–बजट वितरण/2014–15, दिनांक 01 जुलाई, 2014

विषय : समावेशित शिक्षा कार्यक्रम के 'वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 'वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15' की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2014–15 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु रू0 1900/– प्रति विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की दर से बजट स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले क्रियाकलापों हेतु गतिविधिवार बजट का प्राविधान किया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा PAB के minutes आपको ~~कुछ~~ पूर्व में प्रेषित किये जा चुकें है। उक्त के अनुरूप आपके द्वारा कार्यवाही कर ली गई होगी। (संलग्न गतिविधिवार बजट)। आपके जनपद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या के आधार पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु निम्नवत् बजट स्वीकृत किया गया है।

क्र0सं0	जनपद का नाम	कुल CWSN बच्चों की संख्या	इकाई लागत	कुल बजट
1	अल्मोड़ा	740	1900.00	14.069
2	बागेश्वर	578	1900.00	10.981
3	चमोली	579	1900.00	11.002
4	चम्पावत	509	1900.00	9.67
5	देहरादून	1512	1900.00	28.726
6	हरिद्वार	2360	1900.00	44.840
7	नैनीताल	832	1900.00	15.808
8	पौड़ी	846	1900.00	16.073
9	पिथौरागढ़	937	1900.00	17.803
10	रूद्रप्रयाग	558	1900.00	10.602
11	टिहरी	1160	1900.00	22.04
12	उधमसिंह नगर	2276	1900.00	43.243
13	उत्तरकाशी	775	1900.00	14.724
योग		13662	1900.00	259.58

जनपद हेतु निर्धारित बजट सीमा के अन्तर्गत एवं इकाई लागत के अनुसार गतिविधियों का संचालन करना सुनिश्चित करें। गतिविधियों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत् प्रेषित किये जा रहें है।

1. <u>चिकित्सकीय परीक्षण शिविर–</u> जनपद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग, के विशेषज्ञ डाक्टर, समाज कल्याण विभाग, एन0आई0वी0एच0, एन0आर0एच0एम0, एलिम्को कानपुर एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विकलांगता प्रमाण पत्र एवं सहायता उपकरण उपलब्ध कराने हेतु शिविर आयोजित किये जाने हैं। इस हेतु जिन बच्चों के विकलांगता प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं बन सके हैं, उन बच्चों का चिन्हाकन रिसोर्स पर्सन, सी0आर0सी0 द्वारा करवाकर सूची तैयार कर ली जाये व सूची के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी से परामर्श कर शिविर में विशेषज्ञों की उपस्थिति सुनिश्चित कर ली जाये ताकि सूची में अंकित बच्चों के प्रमाण पत्र शिविर में ही निश्चित रूप से बन जायें। कार्ययोजना तैयार कर माह जुलाई–नवम्बर 2014 तक उक्त कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये। परीक्षण शिविरों की सूचना आमजन तक पहुँचाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों/पोस्टर/पम्पलेट एवं निजी चैनलों के माध्यम से अपील प्रसारित की जा सकती है।

2. <u>ऑडियोमीटरी परीक्षण–</u> श्रवणबाधित बच्चों की श्रवण क्षमता के परीक्षण हेतु आवंटित संख्यानुसार जिला चिकित्सालय, गैर–सरकारी संस्थानों एवं स्वयं सेवी संगठनों के विशेषज्ञों (Audiologist) की सहायता ली जा सकती है। परीक्षणोपरान्त आवश्यकतानुसार कान की मशीन (BTE) एलिम्को कानपुर, से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इन शिविरों में स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समाज कल्याण विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के साथ समन्वयन कर परीक्षण से छूटे बच्चों का पुनः परीक्षण एवं प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा।

3. <u>दृष्टि परीक्षण–</u> दृष्टिबाधित बच्चों की नेत्र दृष्टि परीक्षण विशेषज्ञों की सहायता से यथा–एन0आई0वी0एच0, स्वास्थ्य विभाग,एन0आर0एच0एम0, आदि के सहयोग से किया जा सकता है। दृष्टिपरीक्षणोपरान्त चिन्हित बच्चों को चश्में, लैंस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. <u>CWSN बच्चों हेतु सर्जरी–</u> ऐसे बच्चे जिनको प्लास्टिक/करैक्टिव सर्जरी या किन्ही अन्य कारणों से सर्जरी की आवश्यकता है, उनका चिन्हांकन कर सरकारी विशेषज्ञ डाक्टर के परामर्श से सर्जरी करायी जायेगी। सर्जरी हेतु शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

5. <u>सहायता/विशेष सहायता उपकरण एवं अधिगम साभग्री वितरण– (Aids & Appliances/Material/equipment)–</u> परीक्षण शिविरों में विकलांगता परीक्षण, प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किस बच्चे को किस प्रकार के सहायता उपकरण उपलब्ध कराया जाना है। यह सुनिश्चित किये जाने के बाद जनपद हेतु आवंटित बजट की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं यथा–एलिम्को, एन0आर0एच0एम0, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सहायता उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन किया जाना है। यह कार्यक्रम माह–जुलाई, 2014 से प्रारम्भ किये जाने हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले अक्षम बच्चों को सहायता उपकरण वितरण किया जाना है। गत तीन वर्षों में लाभान्वित बच्चों

को छोड़कर उपकरण से वचिंत अन्य बच्चों को इस शिविर में लाभान्वित किया जाये। शिविर में प्रतिभाग करने वाले बच्चों तथा एक अभिभावक, व रिसोर्स पर्सन का यात्रा भत्ता का भुगतान परियोजना के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें। कोई भी शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाला बच्चा उपकरण वितरण से वंचित न रहने पाये। विशेष सहायता उपकरण के रूप में CP Chair, Standing Frame Modified shoes, Study desks, Rollaters का प्राविधान किया गया है। सेरेब्रल पल्सी, मानसिक मन्दता, बहु–विकलांगता एवं शारीरिकरूप से अक्षम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु उक्त विशेष सहायता उपकरणों को उपलब्ध कराया जाना है साथ ही अधिगम सामग्री (एम0आर0 किट, पजल, सी0डी0 आदि) भी इस हेतु खरीदी जा सकती है।

6. <u>रिसोर्स पर्सन का मानदेय</u>–भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 156 रिसोर्स पर्सन का मानदेय वितरण जनपद में कार्यरत संख्या एवं प्रति ब्लॉक अधिकतम दो रिसोर्स पर्सन के आधार पर किया गया है। **जनपदीय रिसोर्स पर्सन का मानदेय 12 माह हेतु प्रबन्धन मद से स्वीकृत है। विकासखण्ड स्तर पर तैनात होने वाले रिसोर्स पर्सन का मानदेय बी0आर0सी0 आवंटित मद से भुगतान किया जाना है।** रिसोर्स पर्सन के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

7. <u>सेवारत अध्यापकों का 05 दिवसीय प्रशिक्षण</u>– समावेशित शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक सेवारत अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले श्रवणबाधित (HI) एवं मानसिक (MR) बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में 05 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है, जिससे श्रवणबाधित एवं मानसिक मंदता वाले बच्चों को कक्षा शिक्षण कराया जा सकें।

8. <u>विश्व विकलांगता दिवस आयोजन–</u> प्रत्येक वर्ष **03 दिसम्बर** को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में सामान्य बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन किया जाये। इस हेतु जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर अनेक समावेशी कार्यक्रम जैसे–वृक्षारोपण, विद्यालय सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्यक्रम साहित्यिक, खेल–कूद एवं नाटक आदि आयोजित किये जा सकते हैं, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की छिपी प्रतिभा व कौशल को पहचानने में सहायता मिल सके और समावेशित शिक्षा का समावेशन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। कार्यक्रमों की पूर्ण आख्या (फोटोग्राफ, वीडियो, सी0डी0 सहित) भी राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान को उपलब्ध करायें।

9. <u>यातायात/एस्कोर्ट भत्ता</u>– विद्यालयों की भौतिक स्थिति के मद्देनजर अनेक ऐसे बच्चे जो एकाधिक कारणों से विद्यालय आने में सक्षम नहीं है, को विद्यालय लाने एवं ले जाने हेतु इस मद के अन्तर्गत प्रति बच्चा **रू0 250.00 (10 माह हेतु रू0 2500/–)** बजट स्वीकृत है। अपने ज़नपद में ऐसे बच्चों को इस मद का उपभोग करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अन्तर्गत गृह आधारित बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा। ऐसे बच्चों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

10. <u>अभिभावक प्रशिक्षण/परामर्श</u>– विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में नामांकन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उनके माता–पिता एवं अभिभावकों का एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण एवं परामर्श शिविर आयोजन किया जायेगा, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों को उनके शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा। ताकि ऐसे बच्चों का विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन हो सके, उन्हें दैनिक जीवन से सम्बन्धित जानकारियां भी विशेषज्ञों द्वारा दी जायेगी। राज्य के सभी 95 विकासखण्डों में समावेशित शिक्षा

को गतिशीलता प्रदान करने हेतु रिसोर्स पर्सन/डायट प्रवक्ता (समावेशित शिक्षा)/बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 एवं एन0जी0ओ0 की सहायता से अभिभावक प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने है।

11. <u>रिसोर्स पर्सन का Curricular adaptations पर 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण</u>– समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत रिसोर्स पर्सन/डायट प्रवक्ता का एन0सी0ई0आर0टी/एस0सी0ई0आर0टी0 एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशषज्ञों की सहायता से 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया जाना है।

12. <u>Curricular adaptations पर अध्यापकों का 05 दिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण</u>–(Non-Residential) एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0/डायट एवं अन्य विशेषज्ञों के द्वारा 05 दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण संपादित किया जाना है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पाठ्यक्रम को समझने में सहायता मिल सकें।

13. <u>ब्रेल बुक एवं लार्ज बुक</u>–इस वर्ष 2014–15 में स्वीकृत दृष्टिबाधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु आंवटित संख्या के आधार पर राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून से ब्रेल बुक एवं लार्ज बुक उपलब्ध करायी जानी है। बच्चों को ब्रेल बुक एवं लार्ज बुक शिक्षण से पूर्व ब्रेललिपि का लेखन व पठन रिसोर्स पर्सन की सहायता से अनिवार्य रुप से कराना सुनिश्चित करें, जिससे दृष्टिबाधित बच्चों हेतु उपलब्ध करायी गयी ब्रेल बुक एवं लार्ज बुक का उपयोग विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों द्वारा किया जा सके। इस हेतु प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर हेतु धनराशि समावेशित शिक्षा मद एवं निःशुल्क पाठय पुस्तक मद से व्यय की जायेगी।

विशेष–

i. उपरोक्त समस्त गतिविधियों को पी0ए0बी0 2014–15 के अनुसार आवंटित बजट सीमा एवं परियोजना के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

ii. उपरोक्त गतिविधियों एवं संसाधन सहायता उपलब्ध कराते समय स्थान, समय, अवधि एवं मौसम का विशेष ध्यान रखा जाये ताकि ऐसे बच्चों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

iii. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शिक्षा का कार्य अत्यधिक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य है। अतः इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मियों को इस कार्य को विशेष महत्व एवं प्राथमिकता देते हुए सम्पादित करना होगा।

iv. विभिन्न प्रशिक्षण/कार्यक्रमों में आमंत्रित आन्तरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों को परियोजना नियमों के अन्तर्गत मानदेय उपलब्ध कराया जाये।

v. समस्त गतिविधियां निर्धारित माह तक अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा ली जायें तथा अनुपालन एवं प्रगति आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

vi. समावेशित शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन में प्रत्येक दशा में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पूर्णतः पालन किया जाये।

'वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15' में स्वीकृत उपरोक्त गतिविधियों में से जनपद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या के अनुरूप स्वीकृत गतिविधियों एवं तद्नुसार आवंटित बजट की सीमा के अन्तर्गत (सलंग्नक–1) ही व्यय किया जाना है। जनपद में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम/गतिविधि को निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् विस्तृत आख्या एवं मासिक प्रगति आख्या जनपद के जिला समन्वयक एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर राज्य परियोजना कार्यालय को यथासमय उपलब्ध करानी अनिवार्य है। इस निर्देश पत्र के साथ आपको जो प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं तद्नुसार निर्धारित समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– जनपदानुसार गतिविधिवार बजट आवंटन पत्रक।

भवदीय

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड़, देहरादून

पृ0सं0– रा0प0नि0/ 555 / समे0शि0–बजट वितरण/2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ ।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत सम्पादित होने वाली गतिविधियों का अनुश्रवण करेंगे।
3. समस्त प्राचार्य डायट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्थान के समावेशित शिक्षा प्रकोष्ठ के वरिष्ट प्रवक्ता/प्रवक्ता को समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों का अनुश्रवण/मूल्यांकन हेतु निर्देशित करें।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड़, देहरादून।